प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 02763/2020-2021 दिनांक 30/03/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/GHA/19726/2020-2021 पत्रावली संख्या:60018-M दिनांक:2014-2015

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **सामाजिक परिवर्तन सेवा समिति, 9/180, ब्लाक नं0-12, कांशीराम आवास योजना, प्रताप विहार, जिला गाजियाबाद, गाजियाबाद, 201009** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 995 दिनांक-25/11/2014 को दिनांक-25/11/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1600 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(DILEEP KUMAR GUPTA)
DA019A515850A2830762C302E344A248F77ACFAB
Date: 30/03/2021 6:12:04 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-30/03/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner

<u>स्मृति- पत्र</u>

1- संस्था का नाम	:	सामाजिक परिवर्तन सेवा समिति।
2- संस्था का पूरा पता	:	9/180, ब्लाक नं0-12, कांशीराम आवास योजना, प्रताप विहार, जिला- गाजियाबाद।
3- संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
4- संस्था के उद्देश्य	:	निम्नलिखित होंगे :-

1. समाज के सभी वर्ग के उपेक्षित एवं गरीब और आर्थिक स्तर पर कमजोर, बेसहारा वर्ग के विकासन्मुख हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
2. बच्चों तथा युवकों/युवतियों को शिक्षित एवं विकासन्मुख हेतु शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हर सम्भव सहायता करना।
3. समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितायें जैसे खेल, ज्ञान-विज्ञान एवं गोष्ठियाँ, सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना।
4. समाज में व्याप्त बुराईयां जैसे बाल श्रम, दहेज प्रथा के प्रति समाज को जागृत करना एवं समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।
5. केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से समाज को अवगत कराकर उनको लाभान्वित कराना।
6. संक्रामक रोग जैसे एड्स, पोलियों आदि के प्रति बचाव हेतु समाज में सुझाव/ जानकारी देना।
7. आपातकालीन परिस्थितियों जैसे भुकम्प, अग्निकांड, बाढ़, महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों को राहत सामग्री आदि सुविधाये उपलब्ध कराना।
8. बेरोजगार व्यक्तियों एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना एवं यथा सम्भव सहयोग करना।
9. गरीब एवं बेसहारा व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा हेतु चिकित्सा शिविर का आयोजन करना।
10. निर्धन व अनाथ बालक/बालिकाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु हस्तशिल्प प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना।

सत्य प्रतिलिपि

03-12-14

3 Ansari

रामप्रसाद अली

Satish Pal

Suraj Kumar

Ruby

11. जनसख्यां नियन्त्रण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर समाज में जागरूकता लाना।
12. जाति, धर्म व भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष वैमनस्य की भावना को दूर कर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना।
13. विकलांग, विधवा व वृद्ध व्यक्तियो की हर सम्भव मदद करना।
14. आश्रयहीन व्यक्तियो को सरकार द्वारा चल रही आवासीय योजनाओ में सम्बन्धित अधिकारी से सम्बन्ध स्थापित कर उन्हे आवास उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
15. परिवारिक कलेह को सुलझाने हेतु परामर्श केन्द्रो की स्थापना कर संचालन करना।
16. गरीब व असहाय व्यक्तियो को निःशुल्क कानूनी सलाह व कानूनी मदद दिलाना।
17. पशुओ पर होने वाले अत्याचार को रोकना व उनके रहने खाने व पीने की व्यवस्था कराना।
18. महिलाओ की हर सम्भव मदद करना व उनकी सुरक्षा हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
19. गरीब जन की पुत्रियो की शादी में हर सम्भव मदद करना।
20. हर आम नागरिको की समस्याओ के समाधान हेतु सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर समाधान कराना।
21. मतदान के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास करना।
22. वृद्ध व्यक्तियो के लिए वृद्धा आश्रमो की स्थापना कर संचालन करना।
23. मानवो पर हो रहे अत्याचार को रोकने हेतु जरूरी कदम उठाना व उन्हे मानवीय अधिकारो के प्रति जागरूक करना।
24. पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने हेतु जनता को जागरूक करने हेतु उन्हे उपाय सुझाना एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि का संचालन करना।

3 Ansari
Saroj Kumar
Satish Pal
Ruby
Bhupendra Singh

सत्य प्रतिलिपि

03.12.14

5- प्रबन्धकारिणी समिति :- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनकों नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0 सं0	नाम व पिता/ पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री अनीस अंसारी पुत्र श्री रहीस अहमद	9/180, ब्लाक नं0-12, कांशीराम आवास योजना, प्रताप विहार, जिला- गाजियाबाद।	अध्यक्ष	पत्रकार
2.	सुश्री रूबी रावत पुत्री श्री गमाल सिंह	ए-18, जवाहर पार्क, साहिबाबाद, जिला- गाजियाबाद।	उपाध्यक्ष	अध्ययन
3.	श्री सतीशपाल पुत्र श्री भानूप्रताप सिंह	एफ-198, एल0आई0जी0 फ्लैट, प्रताप विहार, सैक्टर-11, जिला- गाजियाबाद।	महासचिव	व्यापार
4.	श्री शमशाद अली पुत्र श्री अली मुर्तजा	155, श्यामपार्क मैन, साहिबाबाद, जिला- गाजियाबाद।	सचिव	पत्रकार
5.	श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह	172, ग्राम नैमडी, जिला- अलीगढ।	सचिव	सर्विस
6.	मौ0 यामीन अंसारी पुत्र श्री नूर मौहम्मद	ए-278, शहीदनगर, साहिबाबाद, जिला- गाजियाबाद।	कोषाध्यक्ष	व्यापार
7.	श्री सूरज कुमार यादव पुत्र श्री होरीलाल यादव	218/2ए, वसुन्धरा, जिला- गाजियाबाद।	सदस्य	सर्विस
8.	श्री शाहिद खान पुत्र श्री नजीर अहमद	जी-461, शहीदनगर, साहिबाबाद, जिला- गाजियाबाद।	सदस्य	व्यापार

6- हम निम्न ह0कर्ता घोषित करते है कि इस स्मृति-पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो0रजि0ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक- 15.11.2014

Y Ansari

Yom

Shahid Khan

शमशाद अली

Suraj Kumar

Bhupendra Singh

Satish Pal

Ruby

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अनुभाग
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाईटीज तथा चिट्स मेरठ

03-12-14

Scanned with OKEN Scanner

नियमावली

1- संस्था का नाम	:	सामाजिक परिवर्तन सेवा समिति।
2- संस्था का पूरा पता	:	9/180, ब्लाक नं0-12, कांशीराम आवास योजना, प्रताप विहार, जिला- गाजियाबाद।
3- संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
4- संस्था के उद्देश्य	:	स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे ।

5- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

क- सदस्यता :- जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, सदस्य बन सकेगा।

ख- सदस्यों के वर्ग :-

अ- आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 1100/- रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा।

ब- सामान्य सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 500/-रू0 नकद वार्षिक शुल्क देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा।

6- सदस्यता की समाप्ति :-

1- सदस्य की मृत्यु होने पर ।

2- सदस्य द्वारा दिये गये त्याग-पत्र की स्वीकृति होने पर ।

3- संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।

4- सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक/ ... कार्यालय ... रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स मेरठ
03/12/14

S. Ansari
शमशाद अली
Satish Pal
Sanjay Kumar
Ruby
Sushil Kumar
Bhopal Singh

5- संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थिति रहने पर।

6- संस्था के विरूद्ध नीतियों, कार्यो में दोषी अथवा संलिप्त पाये जाने पर।

7- किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

7- **संस्था के अंग :-**

क- साधारण सभा ।

ख- प्रबन्धकाारिर्णी समिति ।

8- **साधारण सभा :-**

क-गठनः- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी।

ख-बैठकें :- साधारण सभा की सामान्य बैठक छः माह में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :- सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैंसेजर द्वारा दी जायगी ।

घ-कोरम :- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो ।

ड- विशेष वार्षिक अधिवेशन :- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

च-साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।

2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना ।

3- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।

4- संस्था की नीति निर्धारित करना ।

5- संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना ।

सत्य प्रतिलिपि

03-12-14

9- प्रबन्धकारिणी समिति :-

क-गठन :- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा। जिसमें अध्यक्ष- एक, उपाध्यक्ष- एक, महासचिव- एक, सचिव- दो, कोषाध्यक्ष- एक एवं सदस्यगण- दो से पांच होगे। जो आवश्यकता पडने पर घट बढ सकती है।

ख-बैठकें :- सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :- सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी ।

घ-कोरम :- प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ड-रिक्त पद की पूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी ।

च-कार्यकाल :- प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

छ-प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन करना ।

2- संस्था द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों आदि के संचालन हेतु उपसमिति का गठन करना, एडवोकेट, कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।

3- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट आदि को तैयार कराना।

4- प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना।

सत्य प्रतिलिपि

03-12-14

Scanned with OKEN Scanner

5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पारित करना।

10- **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

अध्यक्ष :-

1- संस्था की समस्त प्रकार की सभाओं की अध्यक्षता करना।

2- बैठकों के लिए समय, दिनांक आदि का अनुमोदन करना एवं बैठकों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना।

3- समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।

4- अध्यक्ष अपने विवेक से 2,000-00 रूपये विशेष परिस्थितियों में व्यय करने का अधिकार होगा।

5- संस्था की ओर से विभिन्न कार्यालयो, विभाग से समस्याओं के निदान हेतु पत्र व्यवहार व पैरवी करना।

6- बैठकों की कार्यवाही लिखना एवं अभिलेख पूर्ण कराना।

7- संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना एवं मूल अभिलेखों, बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उनको प्रमाणित भी करना।

8- संस्था के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम संस्थानों आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

9- सस्था के समस्त बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पडने पर प्रमाणित भी करना ।

सत्य प्रतिलिपि

03-12-14

Ansari

Saliah Pal

Suraj Kumar

Ruby

Scanned with OKEN Scanner

10- संस्था के द्वारा संचालित यूनिट, संस्थान आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना ।

11- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान-अनुदान, चन्दा, ऋण, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना। संस्था के हित में कार्य करना।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

सचिव :-

1- संस्था के हित में संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक बजट तैयार कराना ।

2- संस्था के संचालन हेतु होने वाले कार्यों पर नजर रखना एवं अध्यक्ष को अवगत कराना।

3- संस्था के कर्मचारी/सदस्यों के त्याग-पत्र अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद संस्तुति करना।

4- संस्था के हित में कार्य करना।

उपसचिव :- सचिव की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपसचिव को निहित होंगे।

कोषाध्यक्ष :-

1- संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।

2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।

3- अध्यक्ष तथा सचिव के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

सत्य प्रतिलिपि

03-12-14

11- नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/ परिवर्तन मान्य होगा।

12- संस्था का कोष :- संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

13- आय व्यय लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी0ए0 द्वारा कराया जायेगा, जो कि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14- कानूनी कार्यवाही :-

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

15- अभिलेख :-

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, कैश बुक रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हो, रखे जायेंगे ।

16- विघटन :-

संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक :- 15.11.2014

सत्यप्रतिलिपि ।

सत्य प्रतिलिपि

03-12-14

Scanned with OKEN Scanner

निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ★ मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०) ★

सत्यमेव जयते

(6)

फाईल सं० I-60010-पम०

संस्था का नाम सामाजिक परिवर्तन सेवा समिति जिला-गाजियाबाद

1. स्मृति पत्र ....×........

2. नियामवली ....✓........

3. प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष ....×........

आज दिनाँक ..25/11/14..

को सन् 1860 मे प्रमाणित है अन्तर्गत निबन्धित की गई ।

निबन्धक

फर्म्स, सोसा[illegible] चिट्स

मेरठ म[illegible], मेरठ (उ०प्र०)

Scanned with OKEN Scanner